झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी०एम०सी/प्रशा0 स्वी0–207/2014/............................/राँची, दिनांक ....

प्रेषक:

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेंत्राधीन गोडड्डा जिला के पोडैयाहाट प्रखंड अंतर्गत बड़का बांध तालाब के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू० 69.84614 लाख (उनहत्तर लाख चौरासी हजार छः सौ चौदह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेंत्राधीन गोडड्डा जिला के पोडैयाहाट प्रखंड अंतर्गत पसई ग्राम में स्थित बड़का बांध तालाब के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू० 69.84614 लाख (उनहत्तर लाख चौरासी हजार छः सौ चौदह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रस्तावित योजना अंतर्गत बड़का बाँध तालाब का जीर्णोद्धार तथा 10 फीट गहरीकरण के साथ साथ 1 अदद् Outlet निर्माण का प्रस्ताव है।

4. इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ दी जाती है:–

(i) जीर्णोद्वार कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जायगा एवं उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जायगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री० लेवल माप पुस्त में अंकित किया जायगा एवं इसकी शत प्रतिशत जांच सहायक अभियंता के द्वारा तथा पचास प्रतिशत जांच कार्यपालक अभियंता द्वारा करना सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) योजना के पुनर्स्थापन कार्य के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति से प्राप्त नहीं होगा। उस स्थिति में स्थल पर योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रस्तावित योजना के जीर्णोद्वार कार्य E-Tendering के माध्यम से कराया जाएगा।

(v) प्रस्तावित कार्य के कियान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र का आकलन तथा प्राक्कलन में मद एवं मात्रा की जॉच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) प्रस्तावित कार्य के कियान्वयन के पूर्व प्राक्कलन में प्रावधानित संरचनाओं की रूपांकण की जॉच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

(vii) वैसे भूखण्ड पर निर्मित होने वाले सिंचाई योजनाएँ जिनमें भू–स्वामी द्वारा महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम से निजी भूमि का हस्तानान्तरण किया जाता है उनका विधि सम्मत हस्तानान्तरण होने के उपरांत ही योजना जीर्णोद्धार/निर्माण का कार्य संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जाएगा।

5. योजना के कार्यान्वयन् के पूर्व मुख्य अभियंता, लघु सिचाई दुमका द्वारा 4 के (i) से (vii) तक का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस योजना के जीर्णोद्धार कार्य से कुल 48 हे॰ (खरीफ 32 हे॰ एवं रब्बी 16 हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पुनर्जीवित होगी। योजना का B.C. Ratio 10% interest पर 2.37 आकलित है।

7. प्रस्तावित कार्य को वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

8. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101–सतही जल–20–पुरानी लघु सिंचाई योजना का सम्पोषण एंव पुनर्स्थापन कार्य 05–43'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

9. प्रस्तावित कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गोडड़ा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

10. इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. इस कार्य हेतु राशि की निकासी गोडड़ा कोषागार से की जायगी।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

14. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी/प्रशा0 स्वी0–207/2014/............................/राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी/प्रशा0 स्वी0–207/2014/............................/राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, गोडड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी/प्रशा0 स्वी0–207/2014/............................/राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियता, लघु सिंचाई, दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा0 स्वी0–207/2014/................................/राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा0 स्वी0–207/2014/................................/राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा0 स्वी0–207/2014/ 4214-15 प्र.स्वी. **/राँची, दिनांक** 17.10.2014
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

17/10/14
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)
17/10/14